प्रारुप-30

अनिवार्म रालग्र

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निश्व रित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1 (for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector **Tehri Garhwal** No--- 289/377 - 21(2017-2018 Dated-29/3/18)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.520** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Chamba (T.G)** (name of user agency) for **Construction of Kantaal to Andyargadi Sangaon Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in**Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Saur (**Sangaon**) village (s) in **Tehri** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.520** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----No---289/ $4\pi u = -2$ (2e/2 - 2e/B) TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

FORM-II

अ(नम्य न्तलान्छ !!.6

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.520** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division**, **P.W.D. Chamba (T.G)** (name of user agency) for **Construction of Kantaal to Andyargadi Sangaon Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Saur (**Sangaon**) village (s) in **Tehri** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to ... annexure
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी ि Signatures

Encl.-01

अनिकार्ट संखानक :1.6

86

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Kantaal to Andyargadi Sangaon Motor Road, Length 4.775 Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.520 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub- Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional
(c) -	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	as there are no habitants

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढ़वाल जामना कारणा सदस्य जिला पंचायत सौड वि0 ख0-चम्डा (टि0 जा0)

प्रतिहसाम्रसि


रिहरी गढ़वाल

कारी

14

7 14

समाज कल्याण अधिकारी जिन्हिहरामान करियाण अधिकारी टिहरी गढ़वाल



Signature (Full name and official seal of the District collector)

अलिवर्ष संटानक 1:6

प्रारुप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. **Sonika** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **2.520** hect for the construction of **Kantaal to Andyargadi Sangaon Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Chamba** (**T.G**) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

(सनिका) जिला अधिकारी

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committe

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्बा।

उन्वेवार्म स्लाउन्ड 1:6

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्बा।

आज दिनांक 27-2-2018. को मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 2.520हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी चम्बा अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:--

कम	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
सं0		*	Г
1	श्री चत्तर सिंह चौहान	उप जिलाधिकारी, टिहरी	उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।
2	প্রী প্রদেশ সাদা	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर	उप गभागीम वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रनाग मुनि की रेती
3	श्री राज न्द्र सिंह राग		सहायक समेखि कल्याण अधिकारी विकास खण्ड चम्बा (टि० २००)
4	श्री हरीश रमोला	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य सौड	क्षेत्र वसायत सोड जडीमली विकास खण्ड-चम्बा, टि०ग0
4	श्री भक्षे "इनिमालग" उण्डह्यारी	सदस्य जिला पचायत	सित्य फड़सार्ट सतस्य - जिला पंचायत सोड ति0 ख0-चउदा (टि0 जा0)

प्रारुप-30.2

Name of the project - मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसुरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी

सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

स्वित् में संसे ने !!!

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्बा।

दिनांक-

-सदस्य

-सदस्य

89

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्बा।

उपखण्ड चम्बा परिक्षेत्र के अन्तर्गत काणताल से अंधियारगढी सनगांव मोटर मार्ग का

नवनिर्माण। (2.520 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.8225 हे० नाप भूमि, अर्थात कुल 2.520हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्बा) की दिनांक 27/04 2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चत्तर सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री चत्तर सिंह चौहान, उपजिलाधिकारी टिहरी 1-

-21-01.

- श्री 2151 6 1 (न ह रोण) सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्बा --सदस्य / सचिव 3-
- श्री हरीश रमोला बी०डी०सी० क्षेत्र सौड

पत्रांक-

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेत 2.520हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा⁄पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्बा परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 2.520 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग चम्बा .(प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप गभागीय वनाधिकारी तरेन्द्रनगर उप वन प्रधाग मुनि की रेती

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल।

क्षेत्र पंथायत साइ, प्रतिलिपि : किलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

> उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-टिहरी जनपद टिहरी गढवाल।

अभी बार्ड रालंग्ज 1:6 कि

प्रारुप-30.3

परियोजना का नामः--

मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम **सौड (सनगांव)** तहसील **टिहरी**, जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु (2.520हे0 आरक्षित वन भूमि) अर्थात कुल 2.520हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत सौड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

परियोजना का नामः— मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

artant tromp: 1:0

(3)

दिनांक 22/10/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत सौड

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम कमांक हस्ताक्षर 3221 36 57001 1. Syrer सीता देवी (वहसाइस्या) सीता देवी 2. ETAAS 3. Y20) 4. grany-dat 5 6 and - ang hart-as M at 2-a-ce 8 21-04 धार -व-र्न (9) (10 And erand fat ME 11 Am Zat 11 210कि-43 12. 21Maris मुहीर-य-ड 13 14 201



1.24.1

ग्राम पंचायत सौड

(Sal.)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
15	6िगवार-र.व	mar-19
16	みんえ 1815	用え、13世
17	HEARIN	HEALTH
18	31)गल	Aure
19.	सहन्द्र-यन्द्र रमला	Atom Del
20	Stoldlered ch	1
21	विलोल - यन्द्र	विलोला पन्द
22	Partog - 909	R
23	21 सील यस	सुर्वाल संस्
24	Eitz - yrg	Idury
25	gadz	301 AC
26	nziat	MEI Offic
27	to ond	Sani
28	39121	Suken Nep.
29	No19/C	nordia
30	-Six Alog	307 coloro
31	311019-409	These



A